# अध्याय - IV

## 4.कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

# अध्याय–IV

## 4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

## सरकारी कम्पनियाँ

### बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड

#### *4.1 निष्फल व्यय*

***बी0ई0आर0सी0 की दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप परामर्श शुल्क के मद में ₹ 29.62 लाख का निष्फल व्यय एवं कम दरों पर उर्जा–शक्ति के विक्रय से ₹ 4.72 करोड़ के राजस्व की हानि***

विद्युत–शक्ति अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 62 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) को बी0ई0आर0सी0 (दर अध्यादेश के निर्धारण हेतु नियमों एवं शर्तो) विनियम, 2007 (विनियम) में निहित प्रक्रिया के अनुसार दर निर्धारण करना होता है। विनियम की कंडिका 6(8) के अनुसार, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व वर्ष के 15 नवम्बर तक निर्दिष्ट प्रारूप में आवश्यक आँकड़ों के साथ कुल राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) दायर करना होता है ताकि अधिनियम की धारा 64(3) के अनुसार दर याचिका पर कार्यवाही एवं इसका अन्तिमीकरण यथा–निर्दिष्ट 120 दिनों में हो सके। कंडिका 5 यह भी अनुबद्ध करता है कि दर निर्धारण हेतु उत्पादन कम्पनी, आवेदन से पूर्व के वर्ष के वार्षिक लेखा, जिसकी लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा हो चुकी है, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करे।

कम्पनी अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का विक्रय बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) को करती है। कम्पनी ने बी0ई0आर0सी0 को वर्ष 2009–10 हेतु एक दर याचिका (मार्च 2009) दाखिल की थी। चूँकि कम्पनी की वार्षिक लेखाएँ 1997–98 से बकाये में थीं, आयोग ने ₹ 2.49 प्रति किलो वॉट घंटा का औपबंधिक दर अनुमोदित (दिसम्बर 2009) किया एवं कम्पनी को बकाये में चल रही अपनी वार्षिक लेखाओं का सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी निर्देश किया कि भविष्य में कम्पनी वर्ष प्रस्तावना अपनी वार्षिक लेखाओं एवं उनपर सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ समर्पित करेगी।

## *लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि:*

- कम्पनी ने, बी0ई0आर0सी0 के बकाए में चल रही वार्षिक लेखाओं के अद्यतीकरण के सम्बन्ध में आदेशों के अनुपालन के बजाए, वर्ष 2010–11 (दिसम्बर 2009) एवं 2011–12 (दिसम्बर 2010) हेतु दर प्रस्ताव तैयार करने का कार्य एक परामर्श अभिकरण प्राइसवॉटर हाऊस कूपर (पी0डब्ल्यू0सी0) को दे दिया एवं परामर्श एवं अन्य शुल्क के मद में ₹ 23.47 लाख एवं दर याचिकाओं के दाखिल करने के मद में ₹ 6.15 लाख का भुगतान किया।

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा–निर्देशों की अवहेलना कर कम्पनी ने वर्ष 2010–11 (अप्रैल 2010) एवं वर्ष 2011–12 (दिसम्बर 2010) हेतु क्रमशः ₹ 3.72 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 एवं ₹ 2.99 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 का ए0आर0आर0/दर याचिका बिना लेखापरीक्षा की गई लेखाओं के साथ दाखिल किया। फलस्वरूप बी0ई0आर0सी0 ने दिशा–निर्देशों का अनुपालन न होने के कारण दोनों वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा दाखिल की गई दर याचिका को जून 2010 एवं मई 2011 में खारिज कर दिया। अतः बी0ई0आर0सी0 द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप बी0ई0आर0सी0 द्वारा दर याचिका खारिज करने के फलस्वरूप परामर्श एवं दर दाखिल शुल्क के मद में ₹ 29.62 लाख का किया गया व्यय निष्फल हो गया। इसके साथ ही कम्पनी को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निम्नतर दर पर विद्युत–शक्ति के विक्रय के फलस्वरूप ₹ 4.72 करोड़[1] के राजस्व का घाटा सहना पड़ा।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (जुलाई 2012) कि परामर्श एवं दाखिला शुल्क के मद में कम्पनी द्वारा किया गया व्यय बी0ई0आर0सी0 द्वारा ₹ 2.99 प्रति के0डब्ल्यू0एच0 की औपबंधिक दर के अनुमोदन प्रत्याशा में किया गया था। कम्पनी ने यह भी कहा कि लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा कराने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि हमलोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा बकाए में चल रही अपनी लेखाओं के अन्तिमीकरण हेतु लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रमानुसार लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु यथा आवश्यक दूरदर्शिता एवं गम्भीरता से प्रयास नहीं किया गया।

बकाए में चल रही अपनी लेखाओं की अन्तिमीकरण हेतु लेखाओं का सांविधिक लेखापरीक्षक/सी0ए0जी0 द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रमानुसार लेखापरीक्षा कराने हेतु कम्पनी को गम्भीरता से प्रयास करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

---

[1] 2010-11 - 26504682 के0डब्ल्यू0एच0 x ₹ 1.23 (3.72 - 2.49) = ₹ 3.26 करोड़
2011-12 - 29218329 के0डब्ल्यू0एच0 x ₹ 0.50 (2.90-2.40) = ₹ 1.46 करोड़ कुल: ₹ 4.72 करोड़

## 4.2 कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

***कम्पनी ने वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को ₹ 32.56 लाख की प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान किया***

अन्य बातों के साथ–साथ वित्त विभाग, बिहार सरकार ने दिसम्बर 1984 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) को निर्देश निर्गत किया था कि वे एक्स–ग्रेशिया अथवा समान प्रकृति के देय का भुगतान अपने कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासी अनुभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही करेंगे। प्रशासी विभाग सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 को, कर्मचारियों को भुगतान के मसौदा के औचित्य को सिद्ध करते हुए अनिवार्यतः वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने पर ही, सरकार के निर्णय से अवगत कराएगी।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (मार्च 2012) कि बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के उल्लंघन में प्रशासी विभाग से बिना अनुमोदन लिए अपने कर्मचारियों को वर्ष 2008–10 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में ₹ 32.56 लाख[2] की राशि का भुगतान किया। कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का यह भुगतान कम्पनी की निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना किया गया था। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों का प्रोत्साहन राशि का किया गया भुगतान ₹ 32.56 लाख की अनियमित भुगतान में परिणत हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मई 2012) कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर्मचारियों के योगदान एवं उत्पादकता को प्रेरित करने हेतु किया गया था। साथ ही, प्रोत्साहन राशि के भुगतान से सम्बन्धित मामला निदेशक–मण्डल के अनुमोदन हेतु उपस्थापित नहीं किया जा सका चूँकि उक्त कथित अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की बहुत कम बैठकें आहूत की गई थीं।

तथापि, जवाब इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डाल सका कि इन भुगतानों से पूर्व प्रशासी विभाग की अनुमति क्यों नहीं ली गई थी। साथ ही ये भुगतान, लाभ के औपबंधिक आँकड़ों के आधार पर किए गए थे, चूँकि कम्पनी की लेखाओं की लेखापरीक्षा बकाये में थी।

कम्पनी को अपनी लेखाओं के बकाए का अन्तिमीकरण करने हेतु प्रयास करना चाहिए एवं साथ ही एक्स–ग्रेशिया अथवा समान देय के भुगतान से पूर्व वित्त विभाग के निर्देशों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

---

[2] ₹ 13.77 लाख (2008 - 09) + ₹ 18.79 लाख (2009 - 10)

## बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

### 4.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

***कर दायित्व के समुचित निर्धारण की प्रणाली के अभाव के कारण अग्रिम आयकर का अल्प भुगतान जो ₹ 1.39 करोड़ की परिहार्य ब्याज भुगतान में परिणत हुआ***

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुसार वैसी स्थिति में जहाँ आयकर की भुगतेय राशि ₹ 10,000 अथवा अधिक है, प्रत्येक कर दाता को अधिनियम की धारा 208 से 219 के उपबन्धों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित आय पर निर्दिष्ट दरों पर चार अग्रिम किस्तों[3] में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। कर के न्यूनतम 90 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान में विफलता अथवा निर्दिष्ट दरों पर कर जमा करने में कमी होने पर अधिनियम की धारा 234 बी एवं 234 सी के अनुसार अलग से प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय होगा। ऐसे ब्याज भुगतान की स्थिति को टालने के लिए अग्रिम कर के जमा को सुनिश्चित करने हेतु कर योग्य आय का समुचित प्राक्कलन आवश्यक हो जाता है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0) की स्थापना मुख्यतः बिहार राज्य में पथों एवं पुलों की निर्माण हेतु क्रमशः की गई है और ये उक्त कथित अधिनियम की धाराओं के अनुसार अपने प्राक्कलित आय पर अग्रिम कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नतः प्रदर्शित किया :

- बि0रा0प0वि0नि0 ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 10 करोड़ के आयकर का अग्रिम भुगतान किया। इसमें से ₹ दो करोड़ का भुगतान (15 जून 2010) प्रथम तिमाही में हुआ; ₹ चार करोड़ का भुगतान (14 सितम्बर 2010) दूसरी तिमाही में हुआ; तीसरी तिमाही में भुगतान शून्य रहा एवं ₹ चार करोड़ का भुगतान (14 मार्च 2011) चौथी तिमाही में हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.75 करोड़ की कर की राशि की कटौती कम्पनी की आय स्त्रोत पर की गई थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बि0रा0प0वि0नि0 का कुल कर दायित्व ₹ 18.86 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कुल कर की राशि ( ₹ 10 करोड़ का अग्रिम कर एवं ₹ 2.75 करोड़ की स्त्रोत पर कर कटौती) भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम थी, बि0रा0प0वि0नि0 को ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। शेष ₹ 6.11 करोड़ के आयकर ( ₹ 18.86 करोड़ – ₹ 12.75 करोड़) एवं ₹ 0.72 करोड़ ब्याज की राशि का भुगतान कम्पनी ने सितम्बर 2011 में किया।

[3] 15 जून अथवा पहले (वैसे अग्रिम कर का 15 प्रतिशत से कम नहीं); 15 सितम्बर (वैसे अग्रिम कर का 45 प्रतिशत से कम नहीं जो कि पहली किस्त में भुगतेय की गई राशि से घटा ली गई हो); 15 दिसम्बर (वैसे अग्रिम कर का 75 प्रतिशत से कम नहीं जो कि पूर्व किस्तों में भुगतान की गई राशि से घटा ली गई है) एवं वित्तीय वर्ष का 15 मार्च (वैसे अग्रिम की कुल राशि से पूर्व की किस्तों में जमा की गई राशि घटा ली गई हो)।

- इसी प्रकार, बि0रा0पु0नि0नि0 ने वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु ₹ 14.50 करोड़ का भुगतान अग्रिम आयकर के रूप में किया। इसमें से ₹ 2.70 करोड़ का भुगतान (12 जून 2009) प्रथम तिमाही में, ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान (15 सितम्बर 2009) दूसरी तिमाही में, ₹ 4.27 करोड़ का भुगतान (19 दिसम्बर 2009) तीसरी तिमाही में तथा ₹ 5.15 करोड़ का भुगतान (12 मार्च 2010) चौथी तिमाही में हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.05 करोड़ के कर की कटौती कम्पनी के आय–स्त्रोत पर की गई थी। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बि0रा0पु0नि0नि0 का कुल कर दायित्व ₹ 22.02 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कुल कर की राशि (₹ 14.52 करोड़ का अग्रिम कर एवं ₹ 2.05 करोड़ कर की स्त्रोत पर कटौती) भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम थी, बि0रा0पु0नि0नि0 को ₹ 0.67 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। शेष ₹ 5.45 करोड़ (₹ 22.02 करोड़– ₹ 16.57 करोड़) एवं ₹ 0.67 करोड़ के ब्याज की राशि का भुगतान कम्पनी ने सितम्बर 2010 में किया।

अग्रिम कर भुगतान के लिए कर भुगतेय आय के प्राक्कलन हेतु प्रासंगिक सूचनाएँ यथा प्राक्कलित विक्रय/राजस्व इत्यादि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए। तथापि, मार्च 2011 के महीने में भी जब अग्रिम कर की चौथी एवं अंतिम किस्त का भुगतान किया गया था, बि0रा0प0वि0नि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अपनी विक्रय ज्ञात (संविदा राजस्व 2009–10 में ₹ 415 करोड़ के विरूद्ध 2010–11 में ₹ 881 करोड़ था) नहीं था जो वित्तीय वर्ष 2009–10 की बिक्री के दो गुणा अधिक था। । इसी प्रकार, बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबन्धन को भी अग्रिम कर की चौथी एवं अंतिम किस्त के भुगतान के समय भी वर्ष 2009–10 के लिए अपनी विक्रय ज्ञात नहीं था। यह प्रेक्षित किया गया कि प्रणाली के अभाव में, दोनों कम्पनियों ने कर भुगतेय आय का निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया था तथा कम अग्रिम कर का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप इन्हें ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा (बि0रा0प0वि0नि0 ₹ 0.72 करोड़, बि0रा0पु0नि0नि0 ₹ 0.67 करोड़)।

बि0रा0प0वि0नि0 प्रबंधन ने कहा (मार्च 2012) कि वर्ष 2010–11 में अग्रिम कर का भुगतान, वर्ष 2009–10 में ₹ 13.10 करोड़ के कर भुगतान के आधार पर किया गया था। वर्ष 2010–11 में कर दायित्व में बढ़ोत्तरी, वित्तीय वर्ष 2009–10 के सापेक्ष बिक्री में दो गुणा बढ़ोत्तरी, के कारण था जिसका निर्धारण सांख्यिकी आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका था।

बि0रा0प0वि0नि0 का प्रशासी विभाग (पथ निर्माण विभाग) ने अपने जवाब में कहा (अगस्त 2012) कि ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान, कम्पनी का वास्तविक व्यय नहीं था, चूँकि कम्पनी ने विलम्ब से जमा की गई अग्रिम कर, जो बैंक जमा मद में निवेशित थी, पर आय अर्जित किया था। अतः विभाग ने यह दावा किया, कि ब्याज के मद में कम्पनी द्वारा किया गया निवल भुगतान काफी कम था। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी ने बहुत बड़ी राशि (31 मार्च 2010 को ₹ 74.16 करोड़) अपने चालू खाता में रखी थी जिस पर कम्पनी ने कोई आय अर्जित नहीं किया था एवं जिसका उपयोग ब्याज भुगतान को टालने के लिए किया जा सकता था।

बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबंधन ने अग्रिम कर के अल्प भुगतान का कारण वर्षान्त में त्वरित कार्य प्रगति बताया (जून 2012) जिसके कारण वर्ष की बिक्री का सही आकलन नहीं हो सका। बि0रा0पु0नि0नि0 प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि अग्रिम कर भुगतान के लिए कर योग्य आय के प्राक्कलन हेतु एक प्रणाली हानी चाहिए जो प्रासंगिक सूचनाएँ यथा प्राक्कलित बिक्री/राजस्व इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 का मार्च 2011 (बि0रा0प0वि0नि0) में विक्रय निर्धारण तथा वर्ष 2009–10 का मार्च 2010 (बि0रा0पु0नि0नि0) में विक्रय निर्धारण में कम्पनियों की विफलता यह इंगित करता है कि भुगतेय आय एवं कर दायित्व के समुचित निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली का अभाव था। इसके कारण ₹1.39 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

कर भुगतेय आय एवं अन्य प्रक्षेपणों के निर्धारण हेतु बिक्री, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से संबंधित सूचनाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012), बि0रा0पु0नि0नि0 के संदर्भ में जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

## सांविधिक निगमें

## बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

### *4.4 टी0डी0एस0 के मद में दावा प्रस्तुत नहीं करने से बोर्ड को हानि*

***अदाकर्त्ता बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में एवं टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा दाखिल करने में बोर्ड की विफलता के फलस्वरूप बोर्ड को ₹ 12.87 करोड़ की हानि***

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194 (क) के अनुसार सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज अदाकर्त्ता बैंकों द्वारा स्रोत पर आयकर कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। अधिनियम की धारा 203 के अनुसार बैंक आयकर विभाग को टी0डी0एस0 जमा करती है और इस मद में करदाता संगठन को एक प्रमाण–पत्र देती है। टी0डी0एस0 की वापसी हेतु करदाता को आयकर रिटर्न नियत तिथि के अन्दर, जहाँ कर भुगतेय राशि शून्य है अथवा जहाँ शून्य या कम कर दायित्व है, दाखिल कर दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के पास ₹ 807.50 करोड़ (2008–09), ₹ 629.34 करोड़ (2009–10), ₹ 1127.79 करोड़ (2010–11) एवं ₹ 1771.30 करोड़ 2011–12 का सावधि जमा नौ बैंकों[4] में था। बोर्ड द्वारा अर्जित ब्याज पर बैंकों ने टी0डी0एस0 की कटौती की थी। तथापि बोर्ड ने बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण प्राप्त करने हेतु कोई

[4] स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्यलोक शाखा।

प्रयास नहीं किया। इस तरह बैंकों द्वारा की गई आय स्रोत कर की कटौती की राशि की जानकारी बोर्ड को नहीं थी। यह बैंकों द्वारा आय स्रोत पर की गई कटौती की ससमय सूचना की प्रवाह सुनिश्चितता करने हेतु प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण पद्धति के अभाव को इंगित करता है। लेखापरीक्षा द्वारा टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र का मामला निरन्तर उठाने पर, यह मामला बोर्ड द्वारा अन्ततोगत्वा बैंकों से फरवरी 2012 में उठाया गया। बैंकों ने यह बताया कि 2008–09 से 2011–12 की अवधि के दौरान टी0डी0एस0 के मद में ₹ 36.14 करोड़ की राशि की कटौती हुई थी। चूँकि बोर्ड घाटे में चल रहा था, यह बोर्ड के लिए आवश्यक था कि वह नियत समय सीमा के अन्दर आयकर रिटर्न दाखिल कर टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा प्रस्तुत करता।

हमलोगों ने यह प्रेक्षित किया कि अभिलेखों की समुचित रख–रखाव नहीं होने से, बैंकों से निकटवर्ती समन्वय के अभाव एवं आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने के कारण, उपर्युक्त ₹ 36.14 करोड़ टी0डी0एस0 की वापसी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह बोर्ड द्वारा स्तरहीन निधि प्रबंधन एवं साथ ही अपनी वित्तीय अभिरूचियों की उपेक्षा को इंगित करता है।

बोर्ड ने जवाब में कहा (जुलाई 2012) कि 2008–09 से 2011–12 के दौरान बैंकों द्वारा की गई ₹ 36.14 करोड़ की टी0डी0एस0 कटौती की विवरणी बैंकों से प्राप्त कर ली गई है। साथ ही, आयकर रिटर्न दाखिल कर टी0डी0एस0 वापसी हेतु दाखिल करने की प्रक्रिया प्रगति में था। तथ्य यही है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने तक, ब्याज आय पर टी0डी0एस0 सूचना सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड के पास कोई प्रणाली नहीं थी। इसके अलाावा, मार्च 2011 तक बोर्ड ने आय का रिटर्न केवल वित्तीय वर्ष 2000–01 तक दाखिल किया था। यहाँ यह भी इंगित करना प्रासंगिक है कि 2010–11 तक ₹ 36.14 करोड़ राशि की टी0डी0एस0 कटौती में से, ₹ 12.87 करोड़[5] की राशि कालातीत हो गयी चूँकि वित्तीय वर्ष, जिसमें टी0डी0एस0 कटौती की गई है, से दो वर्ष व्यतीत होने पर टी0डी0एस0 वापसी हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार अदक्षपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति एवं स्तरहीन निधि प्रबंधन के कारण बोर्ड ससमय ₹ 36.14 करोड़ की टी0डी0एस0 राशि की वापसी, जिसमें ₹ 12.87 करोड़ की कालातीत राशि भी सम्मिलित है का दावा प्रस्तुत करने में विफल रहा।

टी0डी0एस0 सम्बन्धी सूचना, आयकर रिटर्न का ससमय दाखिल करना एवं अपनी निधि का प्रभावकारी तथा दक्षपूर्ण प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड को अपनी नियन्त्रण पद्धति को सुदृढ़ करना चाहिए। इसके आलावा, हुई हानि हेतु बोर्ड को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

---

[5] 2008 - 09 के लिए ₹ 6.38 करोड़ तथा 2009–10 के लिए ₹ 6.49 करोड़।

## 4.5 सरकारी आवासीय भवनों में विद्युत की चोरी

***उपभोक्ताओं के आवास में चालू मीटर प्रतिस्थापन एवं अनधिकृत विद्युत प्रयोग को ज्ञात करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों के निरीक्षण में विफलता के कारण बोर्ड ने ₹ 17.40 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया***

अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कपट से अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता की सेवा व्यवस्था से विद्युत प्रयोग हेतु टेप कनेक्शन अथवा कनेक्शन करवाता है तो उसे या तो तीन वर्षों का कारावास अथवा आर्थिक दण्ड अथवा दोनों की सजा हो सकती है। बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड) की कंडिका 11.1 (ग) (iii) एवं (iv) के अनुसार विद्युत चोरी के लिए दाण्डिक शुल्क का निर्धारण वैसी पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिस दौरान विद्युत की चोरी हुई है तथापि वैसी अवधि जिस दौरान अनधिकृत विद्युत का प्रयोग हुआ है का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में अनधिकृत तरीके से प्रयुक्त अवधि को निकटतम विगत बारह मास की अवधि तक सीमित किया जाएगा एवं दाण्डिक शुल्क का निर्धारण, सम्बन्धित सेवा वर्गों के लिए लागू दर के दो गुणा के आधार पर किया जाएगा।

हमलोगों ने 1940 सरकारी आवासों (पदाधिकारियों हेतु 420[6] एवं अन्य कर्मचारियों हेतु 1520[7]) जो बोर्ड से विद्युत कनेक्शन ले रहे थे, के अभिलेखों यथा उपभोक्ताओं के मास्टर आँकड़े, उपभोक्ता लेजर, विपत्रों आदि की जाँच की जिनसे निम्नलिखित न्यूनताएँ उद्धटित हुईं :

- अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान 320 आवासों, जिसमें 281 पुलिस आवास सम्मिलित हैं, में बिना बोर्ड से समुचित कनेक्शन लिए विद्युत का अनधिकृत तरीके से प्रयोग हो रहा था।

- 147 पदाधिकारियों/कर्मचारियों आवासों में औसत दरों पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था क्योंकि वहाँ या तो मीटर नहीं लगा हुआ था अथवा त्रुटिपूर्ण मीटर लगा हुआ था।

- उपर्युक्त 420 पदाधिकारी आवासों में से 261 आवासों में सही विद्युत कनेक्शन एवं मीटर लगा हुआ था जबकि 79 आवासों में या तो मीटर नहीं लगा हुआ था अथवा त्रुटिपूर्ण मीटर लगा हुआ था। आवश्यक जानकारियों के अभाव में 80 अधिकारी आवासों की जाँच नहीं की जा सकी।

- उपर्युक्त पदाधिकारियों की 261 आवासों में से 56 आवासों के मद में अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 तक की अवधि के विरुद्ध भुगतान नहीं प्राप्त हुआ था

---

6 420 पदाधिकारी अवासों में सम्मिलित हैं 84 पदाधिकारी आवास, पुनाईचक, बेलीरोड पर अवस्थित 90 पदाधिकारी आवास, 150 ए0बी0सी0 पदाधिकारी हॉस्टल, पुनाईचक तथा 96 पदाधिकारी आवास, बेली रोड।

7 1520 कर्मचारी आवासों में सम्मिलित हैं पटना में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 316 पुलिस आवास।

एवं 31 जनवरी 2012 तक बकाए का संचय ₹ 35.82 लाख हो गया था एवं बोर्ड ने अभी तक (जनवरी 2012) कोई विद्युत विच्छेदन नहीं किया था।

अग्रेत्तर संवीक्षा से पता चला कि :

- पटना में 17 पुलिस स्टेशनों के 316 उच्च अधीनस्थ (उ0अ0)/अवर अधीनस्थ (अ0अ0) आवासों में से 160 उ0अ0 एवं 121 अ0अ0 आवासों में बोर्ड से बिना कोई कनेक्शन लिए अनधिकृत तरीके से विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था जो विद्युत की चोरी के तुल्य है। साथ ही बोर्ड मंडल एवं एस0टी0एफ0 स्तर पर उपभोक्ताओं के परिसर की जाँच में भी विफल रहा। इस सन्दर्भ में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) के अनुरूप बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं किया।

- वास्तविक भार की सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में, लेखापरीक्षा ने पाँच वर्षों हेतु एल0एस0 आवासों के लिए एक के0डब्ल्यू0 तथा यू0एस0 आवासों हेतु दो के0डब्लयू0 का भार माना। इस आधार पर विधान उपवाक्यों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में पाँच वर्षो हेतु आवासकर्मियों से विद्युत के अनधिकृत प्रयोग/विद्युत चोरी हेतु दाण्डिक शुल्क एवं अन्य शुल्कों की गणना ₹ 17.40[8] करोड़ की गई।

- बकाए के भुगतान नहीं होने की स्थिति में, बोर्ड ने अधिनियम/कोड के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी। लेखापरीक्षा में यथा विश्लेषित भुगतान नहीं होने का कारण यह प्रदर्शित हुआ कि 39 आवासों के मामले में, विपत्रों की तैयारी और उनका निर्गमन उन अधिकारियों के नाम से हुआ था जिन्होंनें अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 की अवधि में आवास खाली कर दिया था। साथ ही नए आवंटनधारियों/आवासकर्मियों द्वारा बोर्ड से बिना कोई कनेक्शन लिए विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था जो पुनः विद्युत चोरी का मामला है। इस प्रकार, बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की वाक्य 11.1 (सी) (III) एवं (IV) के अनुसार उनलोगों को भी भारित करना चाहिए था।

- अधिकारियों/कर्मचारियों नें जिन्होंने आवास खाली कर दिया था, बोर्ड को सूचित नहीं किया था ताकि अग्रेतर विपत्र बनाने का कार्य अंतिम विपत्र बनाने के बाद रोक दिया जाए। विपत्र निर्गत करने वाली अभिकरण वास्तविक आवासकर्मियों को पता लगाने में विफल रहा। चूँकि भुगतान नहीं हो रहा था; उप मंडल/मंडल स्तर पर भुगतान स्थिति की समीक्षा कर विद्युत चोरी को मालूम किया जा सकता था परन्तु यह भी नहीं किया गया।

---

[8] सूत्र = आकलित इकाई = एल x एफ x डी x एच, ₹ 3.48 करोड़ प्रतिवर्ष
कुल 5 वर्षों के लिए ₹ 3.48 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से
जहाँ एल = स्थल जाँच/छापामारी के दौरान पाई गई के0डब्ल्यू0 में कनेक्टेड लोड
एफ = लोड फैक्टर
डी = दिनों की संख्या जिनमें अनाधिकृत विद्युत उपयोग पाया गया
एच = प्रतिदिन उपलब्ध कराए गए औसत आपूर्ति के घंटे

इस प्रकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार उपभोक्ताओं के आवासों पर सही/चालू मीटर के प्रतिस्थापन एवं अधिनियम की धारा 126 के अनुसार अनधिकृत विद्युत प्रयोग को मालूम करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों की जाँच में बोर्ड विफल रहा एवं ₹17.40 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

अनधिकृत विद्युत प्रयोग से बचाव हेतु बोर्ड को उपभोक्ताओं के आवासों की आवधिक जाँच एवं सही तथा चालू मीटरों का प्रतिस्थापन करना चाहिए। इसके आलावा विद्युत अधिनियम/विद्युत आपूर्ति कोड में जैसा कि आवश्यक है, बोर्ड को बकाए का भुगतान नहीं होने पर उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन कर देना चाहिए।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित (अगस्त 2012) किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

### *4.6 राजस्व का कम संग्रहण*

***विपत्रीकरण में कूट प्रावधानों तथा अपने उपभोक्ताओं से राजस्व के संग्रहण में बोर्ड की असफलता के कारण राजस्व में ₹4.73 करोड़ की राशि का कम संग्रहण हुआ***

अन्य बातों के साथ–साथ, बिहार राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता,2007 (संहिता) की धारा 9.20 के अनुसार ऊर्जा के उपभोग के विरूद्ध उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण होगा। संहिता की धारा 10.17 के अनुसार, यदि उपभोक्ता नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल हो, तो उपभोक्ता के सेवा संयोजन (सर्विस कनेक्सन) को अस्थाई रूप से काट दिया जाएगा। धारा 10.20 बताता है कि केवल नियत संस्थापन के बकाया शुल्क/देय राशि के भुगतान के साथ फिर से कनेक्शन लेने के लिए लागू शुल्क के भुगतान के बाद ही आपूर्ति पुनः स्थापित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 10.16 निर्दिष्ट करता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना है कि भुगतान में चूक संबंधी सभी मामलों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है तथा अस्थाई अथवा स्थाई वियोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार समय पर कार्रवाई की जाती है।

हमने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के पटना विद्युत आपूर्ति उपक्रम (पेसू) से संबंधित अभिलेखों का जाँच किया तथा पाया कि बिहार मिलिट्री पुलिस के 233 स्टाफ क्वाटर्स (बी0एम0पी0–5, बी0एम0पी0–10 तथा बी0एम0पी0–14) के उपभोक्ताओं के मामले में बिल, वर्ष अप्रैल 2006 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान, 40 से 288 यूनिट प्रतिमाह की दर के औसत आधार पर जारी किया गया क्योंकि क्वाटर्स में एक भी मीटर कार्य नहीं कर रहा था। बोर्ड द्वारा खराब मीटरों को सुधारने तथा नए मीटर संस्थापित करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, जारी किए गए बिल के विरुद्ध बी0एम0पी कार्यालय से चेक के जरिए बोर्ड द्वारा प्रति माह 40 यूनिट प्रति क्वार्टर की दर से भुगतान स्वीकार किया जा रहा था, औसत आधार पर बढ़ाए बिल के आधार पर नहीं। यद्यपि संहिता प्रावधान के अनुसार, बकाया देय साथ ही पुनः स्थापन शुल्क के भुगतान करने के बाद ही विद्युत का वियोजन तथा पुनः स्थापन समय पर बकाया संग्रहण की आधारभूत आवश्यकता है तथापि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने पाया कि अधिकांश मामलों में क्वाटर्स के धारक बदल गए थे परन्तु बिल बिना किसी अनुसरण के पुराने उपभोक्ताओं के नाम से जारी हो रहे थे। बोर्ड द्वारा कम प्राप्ति को स्वीकार करने के कारण 31 मार्च 2012 को बकाया ₹ 4.73 करोड़ संचित हो गया, जिसकी वसूली बोर्ड (मार्च 2012) द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के अभाव के कारण संदेहास्पद थी।

इस प्रकार बिल बनाने तथा राजस्व के संग्रहण हेतु संहिता प्रावधान का पालन करने में बोर्ड की असफलता के कारण बोर्ड को आवर्ती क्षति हुई जो क्षति मार्च 2012 के अंत में पहले ही ₹ 4.73 करोड़ हो चुकी है उसके जारी रहने की संभावना है यदि खराब मीटर न सुधारे जाएँ अथवा नए मीटर संस्थापित न किए जाएँ।

विद्युत कनेक्शन प्रदान करने, बिल बनाने तथा अपने उपभोक्ताओं से राजस्व के संग्रहण सम्बन्धी संहिता प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बोर्ड को राजस्व की कम वसूली के लिए अपने कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करने चाहिए।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे नवम्बर 2012)।

## *4.7 लोड के विस्तार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि*

***लोड के विस्तार में बोर्ड द्वारा अत्यधिक विलंब के कारण ₹ 2.21 करोड़ की राजस्व की हानि हुई***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का निष्पादन मानदण्ड ) विनियम, 2006 के खंड 15 बी तथा 17 के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड), जहाँ 33 के0वी0 लाईन का संस्थापन शामिल है, वहाँ 145 दिन के भीतर तथा जहाँ वितरण नेटवर्क का कोई विस्तार तथा परिवर्तन शामिल नहीं है वहाँ 27 दिनों के भीतर हाई टेंशन (एच0टी) तथा हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेज (एच0टी0एस0एस0) श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में लोड का वृद्धि करेगा।

हमने पाया कि लोड वृद्धि के तीन मामले के संबंध में (***परिशिष्ट–8*** में दिए विवरण के अनुसार) आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा का पालन नहीं हुआ तथा बोर्ड द्वारा लोड की वृद्धि में 92 से 343 दिनों के रेंज में असामान्य विलंब हुआ। अनियमित विलंब हेतु

कारण जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया निम्नवत् है :

- 15 जनवरी 2011 को मेसर्स त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राईवेट लिमिटेड से 33 के0भी0 प्रणाली पर 60 एच0पी0 से 6300 के0भी0ए0 लोड के वृद्धि हेतु आवेदन प्राप्त किया गया। औचित्य प्रतिवेदन के साथ लोड वृद्धि प्रस्ताव 24 जनवरी 2011 को विद्युत आपूर्ति अंचल, पटना (ई0एस0सी0) द्वारा केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति एरिया बोर्ड (एरिया बोर्ड), पटना को भेजा गया। तथापि, एरिया बोर्ड एवं ई0एस0सी0 के बीच तालमेल की कमी के कारण लोड को 27 जून 2011 को संस्वीकृत की गई तथा आपूर्ति 10 सितम्बर 2011 से आरंभ हुई जो कि 92 दिन विलंब से था।

- 90 एच0पी0 से 2151 के0भी0ए0 लोड वृद्धि हेतु आवेदन 28 जुलाई 2010 को मेसर्स बालाजी मिनी स्टील एण्ड री–रॉलिंग प्राईवेट लिमिटेड, बिहटा से प्राप्त हुआ। यद्यपि मानकों के अनुसार औचित्य प्रतिवेदन को 10 दिनों के भीतर जारी होना था तथापि इसे 02 मई 2011 को जारी किया गया। परिणामस्वरूप, आपूर्ति 287 दिनों के असामान्य विलंब के बाद 04 अक्टूबर 2011 को आरंभ हुआ।

- 7400 के0भी0ए0 से 8000 के0भी0ए0 लोड की वृद्धि हेतु आवेदन 06 जनवरी 2011 को मेसर्स नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड, पटना से प्राप्त किया गया तथा औचित्य प्रतिवेदन तैयार करने के बाद लोड वृद्धि प्रस्ताव को अँचल द्वारा संस्वीकृति हेतु 11 जनवरी 2011 को जी0एम0–सह–सी0ई को भेजा गया। तथापि, लोड 14 दिसम्बर 2011 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा संस्वीकृत किया गया तथा वृद्धि किए लोड पर आपूर्ति 11 जनवरी 2012 को आरंभ हुई। इस प्रकार, एक स्थान (पटना) पर अवस्थित होने पर भी एरिया बोर्ड तथा अँचल के साथ पत्राचार करने में 343 दिनों का विलंब हुआ।

- बोर्ड के पास समय पर औचित्य प्रतिवेदन की तैयारी, आवेदन की तैयारी तथा निर्दिष्ट समय में लोड की वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अन्य औपचारिकताओं का अनुश्रवण करने हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार उल्लेखित तीन मामलों में लोड की वृद्धि में 92 से 343 दिनों के परिहार्य विलंब के कारण बोर्ड को ₹ 2.21 करोड[10] की राजस्व हानि हुई जिसका कारण वृद्धि हुए लोड आधारित टैरिफ से कम टैरिफ पर राजस्व की वसूली होना था।

बोर्ड ने लोड की वृद्धि में विलंब हेतु मेसर्स त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड पर उपभोक्तओं द्वारा दिए आवेदन में त्रुटियों के निवारण तथा उनके विरुद्ध ऊर्जा विपत्र (मे0 नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड) के समाशोधन में समय खपत करने का आरोप लगाया (नवम्बर 2012)। मे0 बालाजी मिनी स्टील्स एंड री0–रौलिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में विलंब हेतु बोर्ड ने कहा कि इसका कारण बाद वाले के 33 के0भी0 लाईन से ऊर्जा की टैपिंग के जरिए वृद्धि हुए लोड प्रदान करने हेतु दूसरे उपभोक्ता द्वारा विरोध का निपटारा करना था।

---

10 मे0 त्रिवेणी स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (₹1.32 करोड़), मे0 मीनी स्टील्स और री–रॉलिंग प्राइवेट लिमिटेड ( ₹ 0.41 करोड़) तथा मे0 नीलकमल स्टील्स (प्रा0) लिमिटेड (₹ 0.48 करोड़)।

बोर्ड का जवाब युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि यह लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोड की वृद्धि में विलंब मुख्यतः प्रक्रियागत विलंब तथा बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के बीच तालमेल की कमी के कारण हुआ।

बोर्ड को प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में प्रक्रियागत विलंब को कम किया जा सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

## 4.8 उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

***उपभोक्ताओं के त्रुटिपुर्ण वर्गीकरण तथा टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.47 करोड़ की राजस्व हानि हुई***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश[11] के अनुसार एक प्वाईंट से अधिक मात्रा में लोड लेने वाले आवासीय कॉलनी तथा बहु–मंजिला आवासीय कॉम्प्लेक्सों पर घरेलू सेवा (डी0एस0)-III लागू होगा, यानि न्यूनतम प्रति फ्लैट/घर 2 किलो वाट तथा कुल लोड के मामले में 60 किलो वाट तक। 75 के0भी0ए0 तथा उससे अधिक वाले लोड हाई टेंशन सेवा (एच0टी0एस0)-I श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

हमने पाया कि मंडलीय लेखा कार्यालय, मध्य पूर्व रेलवे, बीबीगंज को डी0एस0-III टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत 60 के0भी0 का लोड अपने 107, आवासीय क्वाटर्स के विद्युतिकरण हेतु आवंटित किए गए तथा अगस्त 2010 तक डी0एस0-III टैरिफ के अनुसार तथा इसके बाद डी0एस0-II के अनुसार विपत्र दिए गए[12] । नवम्बर 2006 से मार्च 2012 की अवधि हेतु उपभोक्ता के विरुद्ध प्रभारित कुल राशि ₹ 12.21 लाख हो गई।

107 आवासीय क्वाटर्स हेतु न्यूनतम कुल लोड 214 (107×2) किलो वाट (238 के0भी0ए0) हो गया जो उसके एच0टी0एस0 के रूप में वर्गीकरण को उचित सिद्ध करता है क्योंकि कुल लोड 75 के0भी0ए0 से अधिक हो गया। इस प्रकार, एच0टी0एस0–I श्रेणी के बजाए डी0एस0–III/डी0एस0–II के अन्तर्गत उक्त उपभोक्ता को संस्वीकृत लोड गलत था तथा टैरिफ प्रावधान के अनुसार नहीं था। टैरिफ प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, एच0टी0एस0–I हेतु टैरिफ के अनुसार भारित होने वाली राशि ₹159.57 लाख थी।

इस प्रकार एच0टी0एस0-I के बजाय डी0एस0-III/डी0एस0-II के अंतर्गत उपभोक्ता के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण बोर्ड ने उपभोक्ता पर नवम्बर 2006 से मार्च 2012 की

---

11 नवम्बर 2006, सितम्बर 2008, दिसम्बर 2010 तथा मई 2011

12 शहरी क्षेत्रों में घरेलू भवनों के लिए लागू।

अवधि में ₹ 159.57 लाख[13] के बजाय मात्र ₹ 12.21 लाख प्रभारित किया जिससे ₹ 147.36 लाख ( ₹ 159.57 लाख – ₹ 12.21 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड को टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को वर्गीकृत करना चाहिए तथा तदनुसार विपत्र देना चाहिए। इसके अतिक्ति बोर्ड को उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण के कारण बोर्ड को हुई क्षति हेतु जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2012) किए गए; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

### *4.9 उपभोक्ता–श्रेणी का परिवर्तन नहीं होने से राजस्व की हानि*

***उपभोक्ता श्रेणी का परिवर्तन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ राजस्व की हानि हुई***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा वर्ष 2006 में जारी टैरिफ आदेश की कंडिका 2.2 के अनुसार केवल 66 के0भी0ए0 अधिकतम अनुबन्धित लोड वाले लो टेंशन, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति हेतु गैर घरेलू (एन0डी0एस0 – I, II, तथा III) श्रेणी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ आदेश के खंड 7.1 के अनुसार, हाई टेंशन सेवा (एच0टी0एस0) के अंतर्गत, आपूर्ति 75 के0भी0ए0 के न्यूनतम अनुबंध माँग वाले विद्युत हेतु लागू हैं। डी0एस0 तथा एन0डी0एस0 श्रेणी हेतु लागू टैरिफ की तुलना में एच0टी0एस0 श्रेणी हेतु टैरिफ अधिक है।

हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक उपभोक्ता एल0एन0 मिश्रा संस्थान, पटना को सितम्बर 2006 से प्रभावी 290 किलोवाट (322 के0भी0ए0) के हुए लोड पर विद्युत आपूर्ति की गई परन्तु विपत्रीकरण एन0डी0एस0 –II श्रेणी के अन्तर्गत की जा रही थी।

एन0डी0एस0 –II केवल 60 किलो वाट (66 के0भी0ए0) तक ही लागू है, अतः एन0डी0एस0 –II के अंतर्गत 290 किलोवाट के लोड के उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति, अनियमित थी तथा उक्त उपभोक्ता को एच0टी0एस0 श्रेणी में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी। बोर्ड ने उपभोक्ता को अपने लोड में वृद्धि तथा अपने श्रेणी मे परिवर्तन हेतु सूचना निर्गत किया (अक्टूबर 2009)। न तो उपभोक्ता ने सूचना का प्रतिक्रिया दिया न ही इसके बाद बोर्ड द्वारा मामले को आगे बढ़ाया गया। चूँकि बोर्ड ने, उल्लेखित उपभोक्ता के लोड के 66 के0भी0ए0 से अधिक होने की जानकारी के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाया, अतः इससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ। एन0डी0एस0–II से एच0डी0एस0 में उपभोक्ता के श्रेणी में परिवर्तन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ की राजस्व हानि हुई (सितम्बर 2006 से जून 2012 के दौरान)।

---

[13] ऊर्जा प्रभार (₹ 131.82 लाख) + माँग प्रभार ( ₹ 27.75 लाख) 107 क्वाटर्स के लिए

प्रबन्धन का जवाब अभी तक प्रतीक्षित था। तथापि, बोर्ड के अंचल कार्यालय ने कहा (जुलाई 2012) कि उपभोक्ता को 14 जुलाई 2012 के प्रभाव से हाई टेंशन श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था तथा तदनुसार विपत्र निर्गत किया जाएगा। यद्यपि, बोर्ड ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के दृष्टांत पर उक्त उपभोक्ता को एच0टी0एस0 श्रेणी में रखा था तथापि बोर्ड को पहले ही हुई ₹ 1.50 करोड़[14] की हानि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सितम्बर 2006 से जून 2012 की अवधि के दौरान उपभोक्ता श्रेणी एन0डी0एस0–II से एच0टी0एस0 में परिवर्तन नहीं होने के कारण उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला तथा बोर्ड को ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

बोर्ड को तत्परता से उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन होने योग्य उपभोक्ताओं के मामले में प्रभावी उपाय करना चाहिए ताकि राजस्व हानि को टाला जा सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को चूक हेतु जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता है।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2012); जवाब प्रतीक्षित थे(नवम्बर 2012)।

## *4.10 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय*

***बोर्ड क्रयादेश के खंडों को आह्वान करने में असफल रहा जिसके कारण वितरण ट्रान्सफॉर्मर के अधिप्राप्ति में ₹ 47.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ***

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने अगस्त 2010 में ₹ 67,662.73 प्रति ट्रान्सफॉर्मर की लागत पर 100 के0भी0ए0 क्षमता के 2000 वितरण ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति हेतु एक निजी प्रतिष्ठान मे0 ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड (आपूर्तिकर्त्ता) को क्रय आदेश दिया। क्रयादेश के खंड 6 के अनुसार सभी ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति चार माह के अन्दर अर्थात् 19 दिसम्बर 2010[15] तक होनी थी। उक्त क्रयादेश के खंड 7 के अन्तर्गत सामग्री की आपूर्त्ति में प्रति सप्ताह या उसके अंश के विलम्ब हेतु पूर्व कार्य मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड के अधिरोपण अथवा अधिकतम पाँच प्रतिशत की सीमा तक आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से कटौती का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, क्रयादेश के खण्ड 8 के अनुसार, सामग्री की आपूर्ति में विलंब अथवा निम्न स्तरीय सामग्री की आपूर्ति के मामले में बोर्ड प्रदत्त संविदा/ऑर्डर को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने में समर्थ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्धाटित हुआ कि :

- 19 अक्टूबर 2010 तक 800 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति के समय–सारणी के विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता ने केवल 486 ट्रान्सफॉर्मरों का ही आपूर्ति किया। 19 दिसम्बर

---

14 एच0टी0एस0 विपत्रीकरण (बकाया): ₹ 237.86 लाख – एन0डी0एस0–II विपत्रीकरण (भारित): ₹ 87.81 लाख = ₹ 150.05 लाख, अर्थात् ₹ 1.50 करोड़ ।

15 पहला माह–200, दूसरा माह–600, तीसरा माह–600 एवं चौथा माह–600

2010 तक पूरे 2000 ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्त्ता ने सितम्बर 2010 से अक्टूबर 2011 के दौरान कुल 1868 ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द किया। बोर्ड ने वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्त्तिकत्ताओं के विपत्र से ₹14.80 लाख की राशि कटौती कर लिया। यह भी पाया गया कि निर्धारित समाप्ति अवधि से दस माह व्यपगत होने के बाद भी पूरे ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अत्यधिक विलम्ब क्रयादेश के खंड 8 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तथापि इसका आह्वान नहीं किया गया।

- सितम्बर 2010 में, बोर्ड ने 100 के0भी0ए0 के अन्य 1000 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जिसके मूल्य के लिए बोली 15 नवम्बर 2010 के आरंभ हुआ। न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रति ट्रान्सफॉर्मर निवेदित दर ₹ 63800 पाया गया जो कि ₹ 67662.73 की दर से जिसपर 2000 ट्रान्सफॉर्मर की अधिप्राप्ति होनी थी ₹ 3862.73 कम था।15 नवम्बर 2010 को जब मूल्य बोली आरंभ हुआ आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पूर्व आदेश के विरूद्ध केवल 649 ट्रान्सफॉर्मरों की सुपुर्दगी हुई।

- चूँकि सितम्बर 2010 की निविदा के विरुद्ध निवेदित भाव अगस्त 2010 के क्रयादेश से कम था तथा आपूतिकर्त्ता ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति समय पर करने में चूक गया था, अतः आपूर्ति होने वाले शेष ट्रान्सफॉर्मरों (1351)[16] के क्रयादेश को खण्ड 8 का आह्वान करते हुए रद्द करना बोर्ड के वित्तीय हित में था। विकल्पस्वरूप, शेष ट्रान्सफॉर्मरों को ₹ 63800 प्रति ट्रान्सफॉर्मर के निम्न दर पर क्रय करना चाहिए था। इसके बदले बोर्ड ने उच्च दर पर विलम्ब से आपूर्ति किए गए ट्रान्सफॉर्मरों को स्वीकार करना जारी रखा (आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कुल 1868 ट्रान्सफॉर्मर सुपुर्द किए गए)। इसके कारण ₹ 47.09 लाख का परिहार्य व्यय हुआ (₹3862.73×1219 ट्रान्सफॉर्मर अर्थात् 1868 – 15 नवम्बर 2010 तक प्राप्त 649)।

- इसके अतिरिक्त, समान क्षमता के 2000 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों हेतु क्रयादेश देने की तिथि से एक माह के भीतर 1000 वितरण ट्रान्सफॉर्मर की अधिप्राप्ति हेतु निविदा के आमंत्रण ने बोर्ड के अस्वस्थ योजना को प्रदर्शित किया तथा बोर्ड को आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त हो सकने वाले परिमाण छूट से वंचित कर दिया।

बोर्ड को क्रयादेश के नियम एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके।

मामला बोर्ड तथा सरकार को प्रतिवेदित किए गए ( जून 2012 ), जवाब प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

---

16 2000 - 649 = 1351

## 4.11 बोर्ड को हानि

**इंधन आपूर्ति अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं होने के कारण बोर्ड को ₹ 3.32 करोड़ की हानि हुई**

अन्य बातों के साथ–साथ अप्रैल 2009 से प्रभावित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी0टी0पी0एस0) को कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) तथा इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई0सी0एल0) के बीच इंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ0एस0ए0) के खंड 4.6.1 के अनुसार क्रेता डिलीवरी/अनलोडिंग प्वाइंट पर प्राप्त कोयले के प्रेषण में पत्थरों की उपस्थिति तुरंत विक्रेता को सूचित करेगा। विक्रेता तथा क्रेता द्वारा संयुक्त निर्धारण हेतु पत्थरों की मात्रा पृथक किया जाना था तथा बड़े पत्थरों की मात्रा एफ0एस0ए0 के खंड 9.1 के अनुसार कोयले के बिल से समायेजित होना था। इसके अतिरिक्त, एफ0एस0ए0 के खण्ड 4.6.3 (क) तथा (ख) के अनुसार अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को पृथक करना तथा ढ़ेर लगाना परस्पर सहमत हुए स्थान पर होना था। संयुक्त निर्धारण के दौरान पत्थरों की मात्रा का निर्धारण होने के बाद ही इसका निपटारा किया जाना था।

हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि :

- अप्रैल 2009 से सितम्बर 2011 के दौरान ई0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले में पत्थरों की 24590.44 टन की मात्रा पाई गई। पत्थरों को एफ0एस0ए0 के अनुसार, ई0सी0एल0 तथा बोर्ड के संयुक्त दल द्वारा एकत्रित किया जाना तथा मापा जाना था। यद्यपि ई0सी0एल0 के दल ने कई बार बी0टी0पी0एस0 का भ्रमण किया (फरवरी 2010 से नवम्बर 2010 तक) परन्तु पत्थर एकत्रित नहीं किए जाने तथा सर्वेक्षण उपकरण की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 2011 तक पत्थर नहीं मापे जा सके।

- मई 2011 में, संयुक्त दल ने 1798.41 टन पत्थरों की मापी (दिसम्बर 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि हेतु) की तथा 1528.64 टन अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को (मई 2011 से सितम्बर 2011 तक की अवधि हेतु) पाया। संयुक्त दल ने पुनः (अक्टुबर 2011) 252.20 टन पत्थरों (मई 2011 से सितम्बर 2011) को पाया जिनमें 226.98 टन बड़े आकार वाले पत्थर थे। औसतन पत्थरों की कुल मात्रा में 85 प्रतिशत बड़े आकार वाले पत्थर पाए गए।

- समय–समय पर बोर्ड ने संयुक्त निर्धारण कार्यान्वित किए बिना पत्थरों को चुनने, पृथक करने तथा निपटने का कार्य चालू रखा।

आगे यह भी पाया गया कि प्राप्त 24590.44 टन पत्थरों की मात्रा के विरुद्ध, बोर्ड संयुक्त मापन हेतु केवल 2050.61 टन पत्थरों को ही प्रस्तुत कर सका तथा शेष 22539.83 टन पत्थरों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फलस्वरूप बोर्ड ने शेष 22539.83 टन में अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों की उपस्थिति के प्रति 19158.86 टन (₹ 1730.27 प्रति टन की दर से 22539.83 टन का 85 प्रतिशत) पर ₹ 3.32 करोड़ का दावा करने का अवसर खो दिया। जैसा कि लेखापरीक्षा में जाँच किया गया संयुक्त

मापन हेतु पत्थरों की शेष मात्रा को प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण स्थान प्रतिबंध तथा पत्थरों को एकत्रित करने हेतु परस्पर सहमत हुए स्थान का अन्तिमीकरण नहीं करना था। उक्त परस्पर सहमत हुए स्थान के आभाव में चुने हुए पत्थरों को एकत्रित नहीं किया जा सका और उसे संयुक्त मापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में बोर्ड की असफलता के कारण बोर्ड को ₹ 3.32 करोड़[17] की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2012) कि दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के दौरान कुल 24590 टन पत्थरों को संग्रहित/पृथक/एकत्र/निपटारा किया गया। एक स्थान पर चुने, पृथक किए तथा रखे गए 250 मि0मी0 से अधिक तथा 250 मि0मी0 से कम आकार वाले पत्थर उनके मापन के लिए ई0सी0एल0 प्रतिनिधियों को दिखाया गया परन्तु वे सर्वेक्षण उपकरण के अभाव में जैसा कि एफ0एस0ए0 में उल्लेखित है, वहाँ जाने से इंकार कर दिया।

उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बोर्ड तथा ई0सी0एल0 के संयुक्त दल ने दिसम्बर 2009 से मई 2011 के दौरान पृथक् किए गए तथा एकत्रित किए गए पत्थरों की कुल मात्रा में केवल 2050.61 टन पत्थरों को मापा था। अतः ई0सी0एल0 को मापने से इस प्रकार इंकार करना ठीक नहीं है। तथ्य यह है कि बी0टी0पी0एस0, ई0सी0एल0 द्वारा सत्यापन हेतु अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों को पृथक तथा एकत्र करने एवं कोयले के विपत्र के विरुद्ध समायोजन करने में असफल रहा। साथ ही, पत्थरों का निपटान उनके आकार का ध्यान रखे बिना तथा संयुक्त निर्धारण कार्यान्वित किए बिना किया गया, जो केवल अधिक बड़े आकार वाले पत्थरों की मात्रा के निर्धारण के बाद ही किया जाना था।

एफ0एस0ए0 के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में बोर्ड को पत्थरों को पृथक एवं एकत्रित करना चाहिए तथा 250 मि0मी0 आकार तथा उससे बड़े पत्थरों के पृथक्करण हेतु इसे ई0सी0एल0 के प्रतिनिधियों के समक्ष संयुक्त मापन हेतु उपलब्ध कराना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (जून 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

## सामान्य

### *4.12 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया*

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर छः सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2012 तक 18 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 608 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1320 कंडिकाएँ सितम्बर 2012 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से आठ वर्षो

---

17 19,158.86 टन × ₹ 1730.27 प्रति टन = ₹ 3.32 करोड़

तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2012 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार ब्योरा ***परिशिष्ट–9*** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि मई से अगस्त 2012 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–10*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2012)।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

**(आई. डी. एस. धारीवाल)**
**महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार**

**पटना**
**दिनांक :**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(विनोद राय)**
**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक :**